


07.11.2023:-पत्रावली आज वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा वादी ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वादी व प्रतिवादी को आपसी राजीनामा हो गया। इस कारण वादीगण अपना वादपत्र आगे नही चलाना चाहता। पत्रावली को आज ही पेशी मे लिया जाकर पत्रवाली वाद वादी खारिज किया जाने के आदेश फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन फर्द अहकाम पर वादी के हस्ताक्षर करवाये गये। वादी कि पहचान वादी अधिवक्ता श्री भीमसैन द्वारा कि गई। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादी वादपत्र मौजूदा सूरत मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।


सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़